

HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Civil Miscellaneous Appeal No. 2611/2024

Shreemati Resham Devi W/o Kailash Choudhary, Aged About 41 Years, R/o House No. 327, Shreeram Taila Rajeev Nagar , Kachi Basti Lakapuri, Jaipur.

----Appellant

Versus

Subhash Saraf Subhash Saraf R.p. Jewellers, Lg-9 Krishan Krupa-3, Subhash Nagar Shopping Center Jaipur Through Proprietor/partnership Shree Ramgopal.

----Respondent

For Appellant(s) : Mr. Ayush Gupta, Adv.

For Respondent(s) : Mr. Mahendra Kumar Jain, Adv.

HON'BLE MR. JUSTICE UMA SHANKER VYAS

Judgment / Order

18/03/2026

अपीलार्थी—दावेदार (आगे “दावेदार” कहा जावेगा) की ओर से यह अपील धारा 30 कर्मकार क्षतिपूर्ति अधिनियम, 1923 (आगे “अधिनियम—1923” कहा जावेगा) के तहत विद्वान न्यायालय आयुक्त कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम, 1923 जयपुर द्वारा प्रकरण E.C.C./F./66/2010 में पारित निर्णय दिनांक 05.04.2024 से व्यथित होकर पेश की है जिसके माध्यम से अपीलार्थी की क्लेम याचिका खारिज की गयी।

वर्तमान मामले में यह विवाद रहित है कि दावेदार का पुत्र मृतक रामवतार प्रत्यर्थी के यहां कर्मकार के रूप में नियोजित था तथा दिनांक 05.10.2009 को मृतक की असामाजिक तथ्यों द्वारा जन्तर मन्तर के पास हत्या कर दी गयी। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा यह निष्कर्ष दिया गया है कि घटना स्थल जन्तर मन्तर पर मृतक की उपस्थिति नियोजन के दौरान नहीं थी और इस आधार पर क्लेम याचिका खारिज की गयी है।

विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी का निवेदन है कि उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर यह स्पष्ट है कि प्रत्यर्थी-नियोजक द्वारा मृतक को अपनी फर्म से पीतलियों के चौक की तरफ सामान डिलीवर करने के लिए भेजा था, रास्ते में ज्यादा भीड़ होने से थोड़ा सा मार्ग परिवर्तन करते हुए मृतक जन्तर मन्तर वाले रास्ते पर चला गया था, लेकिन यह स्वीकृत है कि तत्समय वह प्रत्यर्थी के नियोजन में कार्य कर रहा था, परंतु विचारण न्यायालय द्वारा संपूर्ण साक्ष्य को नजर अन्दाज करते हुए अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, जो अपास्त होने व क्लेम याचिका स्वीकार होने योग्य है। विकल्प में मामला विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किये जाने का निवेदन किया।

इसके विपरीत विद्वान अधिवक्ता प्रत्यर्थी का निवेदन है कि स्वयं मृतक के पिता कैलाश ने अपनी साक्ष्य में स्वीकार किया है कि पीतलियों के चौक में जाने हेतु रास्ते में जन्तर मन्तर नहीं आता है, अतः ऐसी स्थिति में स्पष्ट है कि घटना स्थल पर मृतक की उपस्थिति उसके नियोजन से पृथक व असंबंधित थी और ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय के निर्णय को विधि सम्मत होना बताते हुए अपील खारिज किये जाने का निवेदन किया। उनका यह भी निवेदन है कि इस मामले में विधि का कोई सारवान प्रश्न अन्तर्वलित नहीं है, अतः ऐसी स्थिति में “अधिनियम-1923” की धारा-30 के प्रावधान तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा North East Karnataka Road Transport Corporation Vs. Smt. Sujatha (2019) 11 SCC 514 में प्रतिपादित व्यवस्था के अनुसार यह अपील पोषणीय नहीं है।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित न्यायिक निर्णय North East Karnataka Road Transport Corporation Vs. Smt. Sujatha (Supra) के सुसंगत पैरा संख्या-9, 10, 11 तथा 12 निम्नानुसार है—

9. At the outset, we may take note of the fact, being a settled principle, that the question as to whether the employee met with an accident, whether the accident occurred during the course of employment, whether it arose out of an employment, how and in what manner the accident occurred, who was negligent in causing the accident, whether there existed any relationship of employee and employer, what was the age and monthly

salary of the employee, how many are the dependents of the deceased employee, the extent of disability caused to the employee due to injuries suffered in an accident, whether there was any insurance coverage obtained by the employer to cover the incident etc. are some of the material issues which arise for the just decision of the Commissioner in a claim petition when an employee suffers any bodily injury or dies during the course of his employment and he/his LRs sue/s his employer to claim compensation under the Act.

10. The afore-mentioned questions are essentially the questions of fact and, therefore, they are required to be proved with the aid of evidence. Once they are proved either way, the findings recorded thereon are regarded as the findings of fact.

11. The appeal provided under Section 30 of the Act to the High Court against the order of the Commissioner lie only against the specific orders set out in clause (a) to (e) of Section 30 of the Act with a further rider contained in first proviso to the Section that the appeal must involve substantial question of law.

12. In other words, the appeal provided under Section 30 of the Act to the High Court against the order of the Commissioner is not like a Regular First Appeal akin to Section 96 of the Code of Civil Procedure, 1908 which can be heard both on facts and law. The appellate jurisdiction of the High Court to decide the appeal is confined only to examine the substantial questions of law arising in the case.

उपरोक्त निर्णय में प्रतिपादित विधिक व्यवस्था तथा अधिनियम-1923 की धारा 30 के प्रावधानों के अनुसार स्पष्ट है कि विधि का सारवान प्रश्न अन्तर्वलित होने पर ही अपील सुनवाई हेतु ग्रहण की जा सकती है।

वर्तमान मामले में प्रत्यर्थी-नियोजक का यह बचाव है कि मृतक को बहुमूल्य सामग्री लेकर सुपुर्द करने व प्राप्त करने हेतु पीतलियों के चौक भेजा गया था, लेकिन उसके द्वारा निर्देशों के विपरीत जाकर जन्तर मन्तर की तरफ प्रस्थान किया, जन्तर मन्तर पर मृतक की उपस्थिति नियोजन से असंबंधित थी। “अनिधिनियम-1923” की धारा 3 (B)(ii) में यह प्रावधान किया गया है कि यदि कर्मकार द्वारा नियोक्ता के आदेश की अवहेलना की जाती है और उस के अनुक्रम में कोई घटना घटित होती है तो क्लेम याचिका पोषणीय नहीं है। वर्तमान मामले में मृतक के पिता कैलाश द्वारा साक्ष्य में यह स्वीकार किया गया है कि पीतलियों के चौक जाकर आने में जन्तर मन्तर नहीं आता है, अतः

ऐसी स्थिति में यह तो स्पष्ट है कि जन्तर मन्तर पर मृतक की उपस्थिति उसके नियोजन कार्य से असंबंधित होकर पृथक थी। दुर्घटना नियोजन काल में हुई है अथवा नहीं, यह विषय माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय North East Karnataka Road Transport Corporation (पूर्वोक्त) में प्रतिपादित व्यवस्था के अनुसार तथ्यों का प्रश्न है, जिस पर विद्वान विचारण न्यायालय ने दोनों पक्षों की साक्ष्य पर विचार करने के उपरान्त अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध महत्वपूर्ण साक्ष्य को नजर अंदाज कर अपना निष्कर्ष दिया हो अथवा जो तथ्य अभिलेख पर थे ही नहीं, उन पर विचार करने के उपरान्त मनमाना निर्णय दिया हो, ऐसी स्थिति अभिलेख पर नहीं है।

उपरोक्त परिस्थितियों में विधि का कोई सारवान प्रश्न इस मामले में अन्तर्वलित नहीं है, इस प्रकार न्यायिक निर्णय North East Karnataka Road Transport Corporation (पूर्वोक्त) में प्रतिपादित व्यवस्था तथा अधिनियम—1923 की धारा—30 के अनुसार यह अपील पोषणीय नहीं होने से खारिज होने योग्य है।

तदनुसार अपीलाधीन निर्णय दिनांक 05.04.2024 की पुष्टि करते हुए यह अपील खारिज की जाती हैं।

विचारण न्यायालय का अभिलेख यदि प्राप्त हो रखा है तो इस आदेश की प्रति के साथ विचारण न्यायालय को प्रेषित किया जावे।

(UMA SHANKER VYAS),J